राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः मुख्या. / एफ–4 / वित्त / नियम / 26 / 2020 / 5461 दिनांकः– 09-11-2020

कार्यालय आदेश

माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर द्वारा केस नं0 आई.टी. 92 / 86 महासचिव, राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन (एटक), सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड, जयपुर बनाम प्रबन्ध निदेशक, राज0 रा0 पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, जयपुर में दिनांक 09.09.1997 को निम्न अवार्ड पारित किया गया। जिसका प्रभावी अंश निम्न प्रकार है।

"प्रबन्ध निदेशक,राज0 रा0 पथ परिवहन निगम, जयपुर को श्रमिकगण द्वारा प्रस्तुत मांगे निम्न प्रकार से निर्णित की जाती है।

क्रम सं0 1.मांग सं0 5(1) यह मांग उचित एवं वैध होने के कारण स्वीकार की जाती है। और विपक्षी निगम को यह आदेश दिया जाता है कि श्रमिकों (चालको / परिचालकों) को दिये जाने वालें रात्रि बहिर्गमन भत्ते व दिन बहिर्गमन भत्ते की दर निगम के यात्रा भत्तों नियमों में स्लेब पर देय दैनिक भत्ते की दर के बराबर की जावें, व भविष्य में जब–जब दैनिक भत्ते की दरों में परिवर्तन हो, उक्त भत्ते की दरों में भी परिवर्तन उसी के समान किया जावें। इस मांग का लाभ प्रार्थीगण "गांधी जयन्ती" अर्थात 02.10.1997 से प्राप्त करने के अधिकारी है।"

माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ,जयपुर द्वारा केस नं0 आई.टी. 92 / 86 महासचिव, राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन (एटक), सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड, जयपुर बनाम प्रबन्ध निदेशक, राज0 रा0 पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, जयपुर में दिनांक 09.09.1997 को पारित अवार्ड की पालना में निगम के चालकों / परिचालकों को दिये जाने वाला रात्रि / दिन बहिर्गमन भत्ते की दरों को अवार्ड अनुसार निगम के यात्रा भत्ता स्लेब में अंकित दैनिक भत्ता के अनुसार भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही समय–समय पर यात्रा भत्ता की दरों में परिवर्तन होने पर रात्रि / दिन बहिर्गमन भत्ते की दरें भी स्वतः ही परिवर्तित मानी जावेंगी।

उक्त आदेश दिनांक **02.10.1997 "गांधी जयन्ती"** से प्रभावी माने जावेंगे।

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या. / एफ–4 / वित्त / नियम / 26 / 2020 / 5461 दिनांकः– 09-11-2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,रा.रा.प.प.नि.मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव,वित्तीय सलाहकार,रा.रा.प.प.नि.मुख्यालय, जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक( ) रा.रा.प.प.नि.मुख्यालय, जयपुर।
4. महा प्रबन्धक / संयुक्त महा प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.नि.मुख्यालय, जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक / कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.नि.मुख्यालय, जयपुर।
6. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश निगम की अधिकृत बेबसाईट के वित्त हैड में आवश्यक रूप से अपलोड करावें।
7. निगम सचिव, रा.रा.प.प.नि.मुख्यालय, जयपुर।
8. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी / मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (वित्त) को भेजकर लेख है, कि उक्त आदेश के क्रम में प्राप्त होने वाले क्लेम की अन्तर राशि का सत्यापन रिकार्ड से कर नियमानुसार भुगतान की अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
9. आदेश पत्रावली।

(वीना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार